

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2055]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2015/आश्विन 1, 1937

No. 2055]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2015/ASVINA 1, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

(आय-कर)

का.आ. 2604(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (14) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 2ख ख, के उप-नियम (2), की सारणी में, क्रम संख्यांक 11 के सामने, स्तंभ (2) के अधीन “भत्ते का नाम” संबंधी प्रविष्टि में, शब्दों “जो अंधा है” के पश्चात् “या मूक-बधिर” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 75/2015/फा.सं. 142/02/2015-टीपीएल]

आरजू गाडोदिया, अवर सचिव (टीपीएल-II)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक 2290 (अ) तारीख 17/08/2015 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया ।